अध्याय–III

व्यय लेखापरीक्षा

पशुपालन विभाग

3.1 'एकीकृत ऑनलाइन औषधि प्रबंधन सॉफ्टवेयर' पर सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा

3.1.1 परिचय

राजस्थान राज्य पशुधन संपदा की दृष्टि से समृद्ध है। पशुधन गणना-2019 के अनुसार राज्य में कुल 568.01 लाख पशुधन एवं 146.23 लाख पोल्ट्री पक्षी थे। देश के कुल पशुधन का लगभग 10.60 प्रतिशत भाग राजस्थान में पाया जाता है ।

पशुपालन विभाग राज्य की इस विशाल और बहुमूल्य संपदा के महत्व को बनाए रखने, इसके विकास और स्वास्थ्य संरक्षण के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से सेवाएं प्रदान कर रहा है। कमजोर वर्गों को विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन उत्पादन में वृद्धि के माध्यम से लाभान्वित किया जा रहा है। विभाग की प्रमुख गतिविधियों और कार्यक्रमों में से एक पशु चिकित्सा स्वास्थ्य देखभाल और रोग नियंत्रण कार्यक्रम है।

राजस्थान सरकार ने पशुधन को लाभ पहुंचाने के लिए (15 अगस्त 2012) पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना शुरू की थी। यह योजना विभागीय पशु चिकित्सालयों एवं उपचार शिविरों में उपलब्ध थी। पशुपालन विभाग राज्य भर में 10,233 इकाई कार्यालयों का संचालन करता है, जिनमें 48 पॉली क्लिनिक, 3,018 पशु चिकित्सालय और 7,167 उपकेंद्र शामिल हैं। इस योजना के तहत पशुओं के उपचार के लिए 138 प्रकार की दवाएं और 25 प्रकार की शल्य चिकित्सा सामग्री[1] निःशुल्क उपलब्ध कराई गई थी।

विभाग ने (12 दिसंबर 2014 को) राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड (आरईआईएल) को दवाओं की खरीद, आपूर्ति और खपत को सुव्यवस्थित करने के लिए एक वेब-आधारित एप्लिकेशन (एकीकृत ऑनलाइन औषधि प्रबंधन सॉफ्टवेयर (आईओएमएमएस)) विकसित करने का आदेश जारी किया।

3.1.2 संगठनात्मक ढांचा

पशुपालन विभाग के शासन सचिव के अधीन निदेशक, मंडल स्तर पर सात अतिरिक्त निदेशकों, जिला स्तर पर 33 संयुक्त निदेशकों और कुचामन शहर (तहसील) में एक उप निदेशक के साथ विभाग के समग्र कामकाज का संचालन करते हैं। आईओएमएमएस की कार्यप्रणाली की जिम्मेदारी

[1] ये आंकड़े वर्ष 2024-25 के लिए हैं। इससे पहले के वर्षों में ये आंकड़े तुलनात्मक रूप से कम थे।

उपनिदेशक (आईटी) को सौंपी गई है, जो अतिरिक्त निदेशक (औषधि) के प्रशासनिक एवं पर्यवेक्षणीय नियंत्रण में कार्य करते हैं। विस्तृत संगठनात्मक ढांचा **चार्ट 3.1** में दिया गया है।

चित्र 3.1: पशुपालन विभाग का संगठनात्मक ढांचा

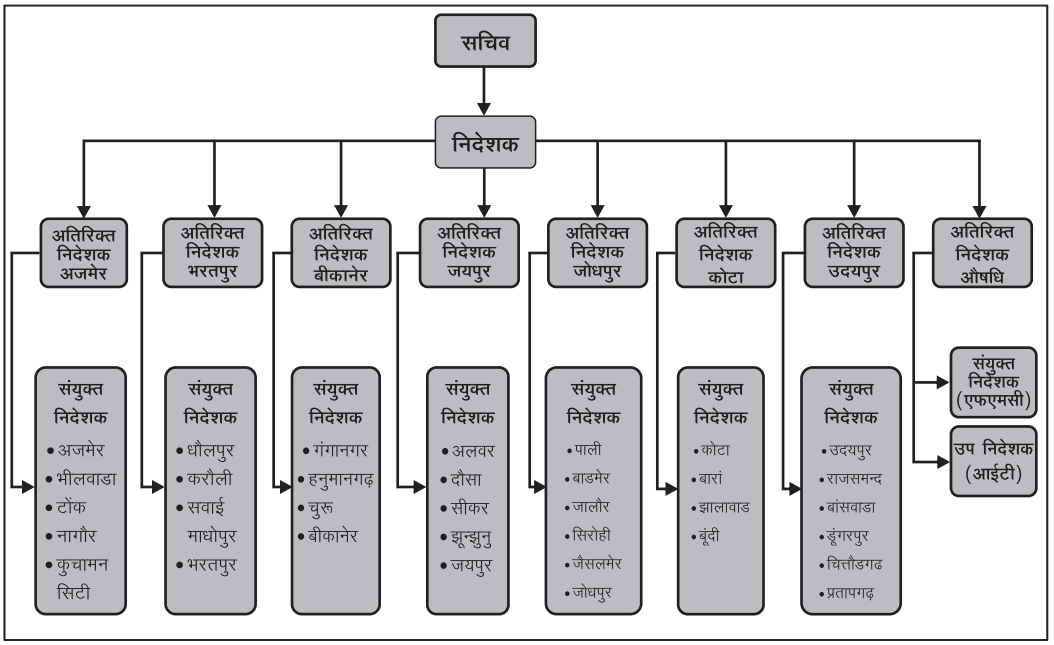

स्रोतः विभागीय वेबसाइट से एकत्रित की गयी सूचना

3.1.3 विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी गतिविधियों का विहंगावलोकन

आईओएमएमएस एक वेब-आधारित आपूर्ति श्रृंखला प्रणाली है, जो राज्य की पशु चिकित्सा स्वास्थ्य संस्थाओं के लिए विभिन्न दवाओं और उपभोग्य सामग्रियों की खरीद, भंडार प्रबंधन तथा वितरण से संबंधित है। आईओएमएमएस अनुप्रयोग में कुल 17 मॉड्यूल थे। मॉड्यूलों का विवरण ***परिशिष्ट-12*** में दिया गया है। आईओएमएमएस अप्रैल 2015 से संचालित हो रहा है। आईओएमएमएस की प्रक्रिया प्रवाह आरेख (फ्लो चार्ट) **चार्ट 3.2** में प्रदर्शित हैः

चार्ट 3.2: सॉफ्टवेयर का प्रक्रिया प्रवाह आरेख

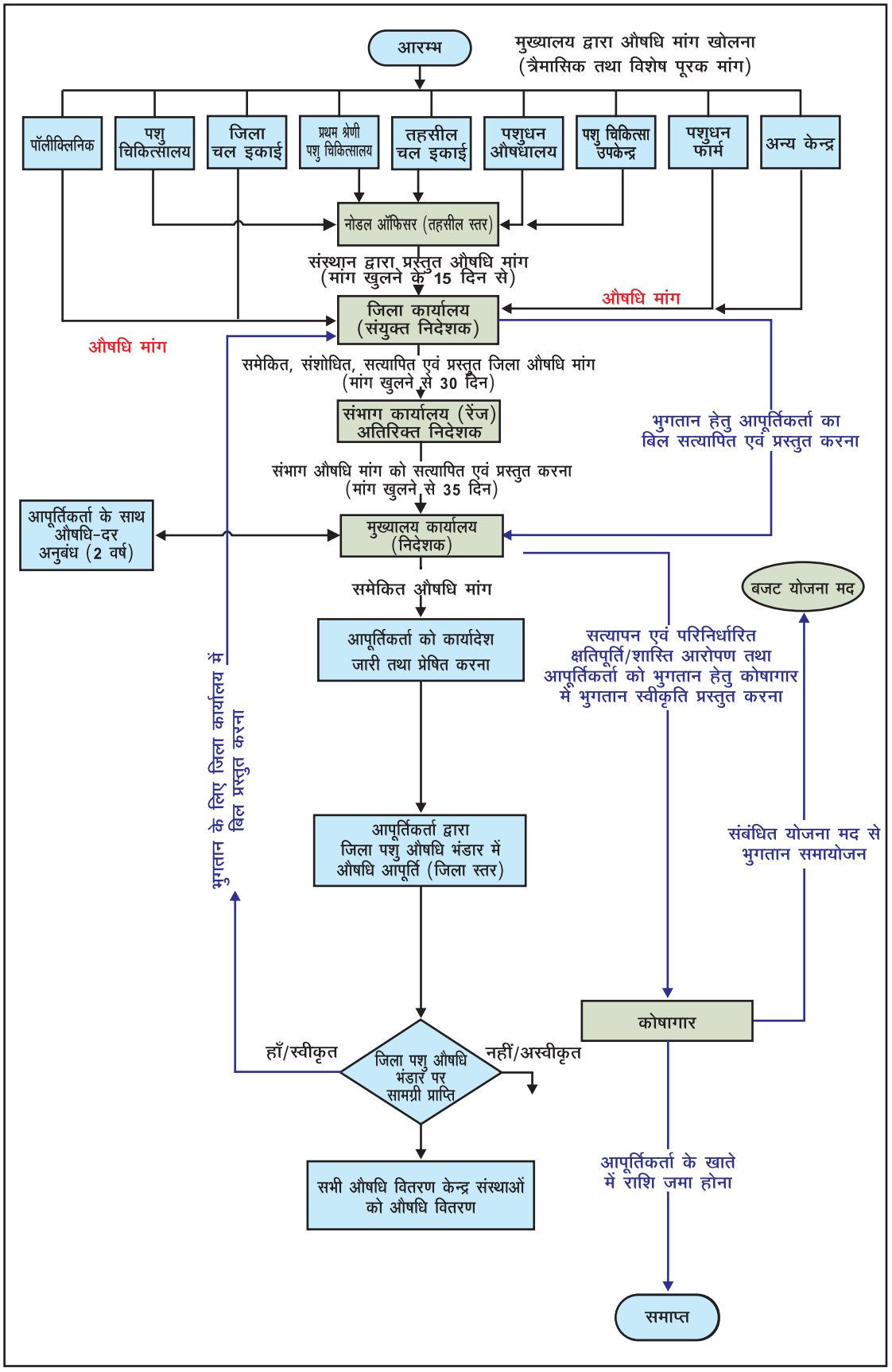

स्रोतः विभाग से एकत्रित की गयी सूचना

3.1.4 वित्तीय परिव्यय

आईओएमएमएस को 2015 में ₹11.23 लाख की लागत से विकसित किया गया था। सितंबर 2024 तक इस प्रणाली पर ₹42.17 लाख (₹11.23 लाख विकास पर तथा ₹30.94 लाख रख-रखाव पर) व्यय किए जा चुके है।

विभाग द्वारा वर्ष 2015-16 से 2024-25 की अवधि में ₹613.57 करोड़ मूल्य की दवाइयाँ और उपभोग्य सामग्री की खरीद एवं वितरण किया गया। वर्षवार विवरण **चार्ट 3.3** में दिया गया है:

चार्ट 3.3: आईओएमएमएस के माध्यम से संचालित दवाइयों एवं उपभोग्य सामग्रियों का विवरण

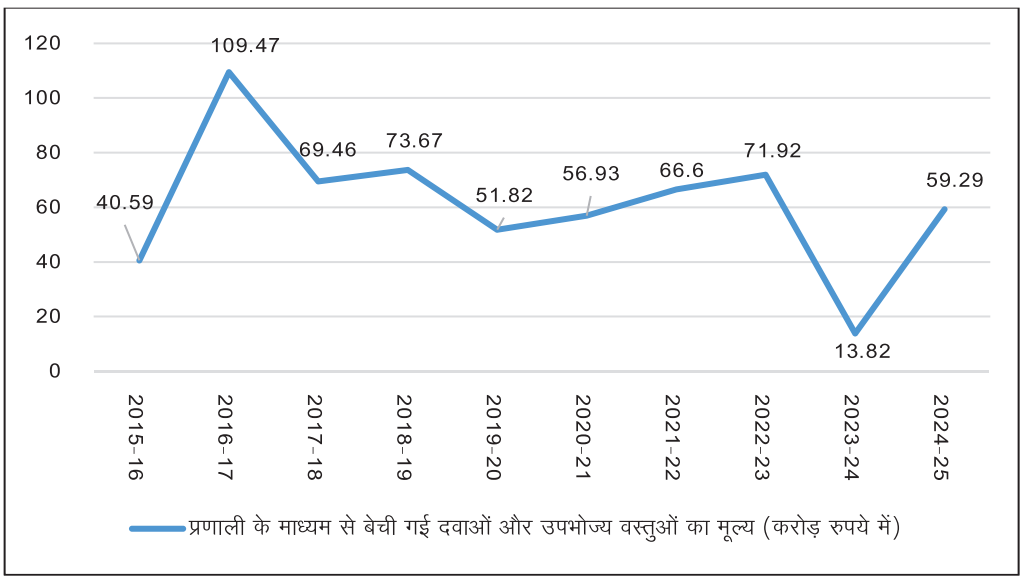

स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए डंप डाटा का विश्लेषण

3.1.5 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि:

- आईटी प्रणाली को अनुमोदित कार्यक्षमताओं के अनुपालन में लागू किया गया है यह सुनिश्चित करने के लिए शासन प्रणाली मौजूद थी।
- आईटी प्रणाली के संचालन से संबंधित सामान्य नियंत्रण कार्यकारी निर्देशों के अनुपालन में लागू किए गए थे; तथा
- व्यवसायिक नियम सही प्रकार से मैप किये गये थे और अनुप्रयोग नियंत्रण प्रणाली में इस प्रकार लागू किए गए थे कि कार्यपालक निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके।

3.1.6 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड निम्नलिखित स्रोतों से अपनाए गए थे:

- भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी ई-सेफ दिशानिर्देश तथा सामान्यतः स्वीकृत श्रेष्ठ सूचना प्रौद्योगिकी प्रयास;

- आईओएमएमएस के उपयोगकर्ता मैनुअल, सॉफ्टवेयर आवश्यकता विनिर्देश (एसआरएस) और कार्यात्मक आवश्यकता विनिर्देश (एफआरएस) दस्तावेज;
- अनुबंध नियम तथा शर्तें, कार्य आदेश तथा सॉफ्टवेयर डेवलपर को जारी अन्य निर्देश;
- राजस्थान सरकार के पशुपालन विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाएँ, परिपत्र तथा दिशानिर्देश;
- औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940, विभाग द्वारा जारी क्रय आदेश तथा औषधि दर अनुबंध; तथा
- सरकारी संस्थाओं के लिए सूचना सुरक्षा प्रयासों संबंधी दिशानिर्देश।

3.1.7 लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा वर्ष 2015-16 से 2024-25 की अवधि को आच्छादित करते हुए की गई थी। लेखापरीक्षा के दायरे में शासन व्यवस्था का मूल्यांकन, आईटी सिस्टम/एप्लिकेशन में अपनाए गए नियंत्रण, डाटा की सत्यनिष्ठा तथा उक्त अवधि के दौरान इसके परिचालन की प्रभावशीलता का आकलन शामिल था। लेखापरीक्षा संवीक्षा में आईओएमएमएस के सभी मॉड्यूलों की कार्यप्रणाली, इकाई कार्यालयों में दवाओं की खरीद, वितरण और उपभोग से संबंधित अभिलेखों का प्रति सत्यापन किया जाना शामिल था। वर्ष 2015-16 से 2024-25 के इलेक्ट्रॉनिक डाटा, जिसमें बैक-एंड डाटा/डाटा डंप शामिल है, को संग्रहित कर कंप्यूटर आधारित लेखापरीक्षा तकनीकों (CAATs) के माध्यम से इंटरेक्टिव डाटा एक्सट्रैक्शन एंड एनालिसिस (IDEA) सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए विश्लेषण किया गया। इसके अतिरिक्त, सिस्टम दस्तावेज़ (एसआरएस, एफआरएस), बैठकों के कार्यवृत्त और भौतिक दस्तावेजों की समीक्षा भी की गई।

लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली में परिचयात्मक परिचर्चा (02 जनवरी 2025), लेखापरीक्षा प्रश्नों को उठाना तथा विभागीय कार्मिकों के साथ परस्पर संवाद शामिल था। लेखापरीक्षा के दौरान सिस्टम में चयनित उपयोगकर्ता भूमिकाओं के लिए कार्यप्रवाहों का संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया। चयनित इकाइयों के 36 विभागीय अधिकारियों से जानकारी प्राप्त करने हेतु एक प्रश्नावली का उपयोग किया गया, ताकि अनुप्रयोग के नियंत्रणों का मूल्यांकन किया जा सके तथा सिस्टम में डाटा की पूर्णता, नियमितता और संगति तथा सिस्टम में डाटा की प्रविष्टि का पता लगाया जा सके।

फील्ड विजिट के दौरान (06 जनवरी 2025 से 14 फरवरी 2025) चयनित इकाइयों के अभिलेखों (जैसा कि नीचे पैराग्राफ संख्या 3.1.8 में उल्लेख किया गया है) की जांच डाटा डंप से संभावित विसंगतियों की पहचान करने के बाद की गई। लेखापरीक्षा जाँच के अंतर्गत तथ्यात्मक विवरण (19 मई 2025) और प्रारूप प्रतिवेदन (03 जुलाई 2025) राज्य सरकार को जारी करना शामिल था। समापन बैठक 23 जुलाई 2025 को आयोजित की गई थी और राज्य सरकार की ओर से उत्तर 28 जुलाई 2025 को प्राप्त हुआ था, जिस पर विधिवत विचार किया गया है।

3.1.8 नमूना चयन

अजमेर जिले में एक प्राथमिक अध्ययन (25 जुलाई 2024 से 14 अगस्त 2024 तक) किया गया था। इसके उपरांत, 33 जिलों में से छह जिलों[2] का नमूना चयन किया गया, जिसमें प्रत्येक श्रेणी (कम-जोखिम, मध्यम-जोखिम और उच्च-जोखिम इकाइ) से दो-दो इकाई कार्यालयों का चयन आईडिया सॉफ़्टवेयर के माध्यम से स्तरीकृत यादृच्छिक नमूना (रैंडम सैंपलिंग) तकनीक का उपयोग करते हुए किया गया। इस प्रकार, लेखापरीक्षा जाँच के लिए कुल 36 इकाई कार्यालयों का चयन किया गया। चयनित जिलों और इकाई कार्यालयों का विवरण ***परिशिष्ट-13*** में दिया गया है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

अभिलेखों की जांच, डंप डाटा के विश्लेषण और आईओएमएमएस की समीक्षा पर आधारित लेखापरीक्षा निष्कर्ष मुख्य रूप से अवसंरचना सुविधाओं की अनुपलब्धता तथा सामान्य नियंत्रणों, अनुप्रयोग नियंत्रणों, व्यावसायिक नियमों की मैपिंग और आंतरिक नियंत्रण तंत्र में कमियों को दर्शाते हैं। इन निष्कर्षों पर आगामी अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

लेखापरीक्षा उद्देश्य 1: आईटी प्रणाली को अनुमोदित कार्यक्षमताओं के अनुपालन में लागू किया गया है यह सुनिश्चित करने के लिए शासन प्रणाली मौजूद थी।

3.1.9 अप्रभावी शासन प्रणाली

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि आईटी प्रणाली को अनुमोदित कार्यक्षमताओं के अनुरूप लागू नहीं किया गया था, क्योंकि आवश्यक अवसंरचनात्मक सुविधाएं सुनिश्चित नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त, सॉफ्टवेयर के प्रभावी संचालन हेतु आईटी सुरक्षा नीति एवं प्रशिक्षण नीतियाँ तैयार नहीं की गई थीं। इन कमियों पर चर्चा निम्नानुसार है:

3.1.9.1 अवसंरचना सुविधाओं की उपलब्धता

सॉफ्टवेयर आवश्यकता विनिर्देश के खंड 2.8 में यह निर्दिष्ट किया गया है कि "सभी सम्बद्ध स्थानों पर इंटरनेट कनेक्शन सहित कंप्यूटर प्रणाली उपलब्ध होनी चाहिए"। साथ ही, इसी के खंड 3.3 में यह भी निर्दिष्ट था कि "क्लाइंट साइड (विभाग) पर न्यूनतम 512 kbps की इंटरनेट स्पीड तथा एक वेब ब्राउज़र आवश्यक है"। जिला पशु औषधि भंडार (DDDs)[3] को आईओएमएमएस का उपयोग मुख्य कार्यों के लिए करना आवश्यक था जैसे कि मांग का संकलन, आपूर्तिकर्ताओं से दवाओं की प्राप्ति, इकाई कार्यालयों को दवाओं का निर्गमन करना, आपूर्ति वाउचर्स बनाना तथा गुणवता परीक्षण रिपोर्ट अपलोड करना। इसी प्रकार, इकाई कार्यालयों में आईओएमएमएस का उपयोग दवा मांग भेजने, प्राप्त दवाओं का रिकॉर्ड दर्ज करने तथा पाक्षिक खपत के डाटा प्रविष्ट करने हेतु करना आवश्यक था। यह दर्शाता है कि सॉफ्टवेयर के सफल

[2] भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़, कोटा, सवाई माधोपुर और श्री गंगानगर।

[3] जिला स्तर पर संयुक्त निदेशकों के नियंत्रण में जिला औषधि डिपो अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते थे, जैसा कि चार्ट 3.2 में प्रक्रिया प्रवाह आरेख में दर्शाया गया है।

कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक इकाई कार्यालय को कंप्यूटर, आवश्यक सहायक उपकरण और विशिष्ट इंटरनेट व्यवस्था से सुसज्जित होना चाहिए था।

चयनित कार्यालयों के लेखापरीक्षा के दौरान, सात संयुक्त निदेशकों द्वारा यह बताया गया कि आईओएमएमएस के उचित संचालन के लिए आवश्यक 1,917 कंप्यूटरों के विरुद्ध केवल 29 व्यक्तिगत कंप्यूटर और संबंधित सहायक उपकरण उपलब्ध थे। इसके अलावा, प्रश्नावली के प्रतिउत्तरों से यह पता चला कि नमूना जांच किए गए 36 इकाई कार्यालयों में से 32 के पास आवश्यक संसाधन ही उपलब्ध नहीं थे। ये निष्कर्ष दर्शाते हैं कि कंप्यूटर एवं इंटरनेट कनेक्टिविटी जैसी मूलभूत आईटी अवसंरचना सुविधाओं की कमी थी, जो एप्लिकेशन के प्रभावी उपभोग हेतु पूर्व-आवश्यक थी। इसका विवरण **तालिका 3.1** में दिया गया है।

तालिका 3.1: सॉफ्टवेयर के सुचारू संचालन हेतु अवसंरचना सुविधाओं की स्थिति

क्र. सं.	संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग के कार्यालय का नाम	31 मार्च 2024 को संयुक्त निदेशक के अधीन इकाइयों की सख्या	आवश्यक अन्य सहायक उपकरणों की संख्या	उपलब्ध कंप्यूटर एंव अन्य सहायक उपकरणों की संख्या
1	अजमेर	321	342	1
2	भीलवाडा	369	365	2
3	चित्तौडगढ़	254	278	1
4	हनुमानगढ़	258	259	10
5	श्री गंगानगर	264	266	11
6	कोटा	180	194	2
7	सवाईमाधोपुर	211	213	2
कुल		**1,857**	**1,917**	**29**

स्रोत- विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई गयी सूचना

तालिका 3.1 मूलभूत अवसंरचना सुविधाओं की कमी को दर्शाती है। इसलिए, विभाग को सॉफ़्टवेयर के प्रभावी संचालन के लिए अपने इकाई कार्यालयों को मूलभूत अवसंरचना उपलब्ध कराने की आवश्यकता है, राज्य सरकार ने तथ्य को स्वीकार किया (28 जुलाई 2025) तथा बताया कि बजट की बाधाओं के कारण अवसंरचना सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की जा सकी। बजट उपलब्ध होने पर, अवसंरचना सुविधाओं को मजबूत करने के लिए आवश्यक उपाय किए जाएंगे। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (सितंबर 2025)।

3.1.9.2 सूचना सुरक्षा नीति

भारत सरकार द्वारा जारी ई-सेफ दिशानिर्देशों[4] के अनुसार, सूचना सुरक्षा नीति को शीर्ष प्रबंधन द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए, प्रकाशित किया जाना चाहिए तथा सभी उपयोगकर्ता को संप्रेषित किया जाना चाहिए। इसमें उद्देश्य, क्षेत्र, कार्यक्षेत्र, सुरक्षा पद्धतियाँ, सुरक्षा प्रबंधन और

[4] ई-सेफः इस दस्तावेज़ में दिए गए दिशानिर्देश ई-गवर्नेंस प्रणालियों के लिए अनुशंसित हैं। सूचना प्रणाली की गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता की सुरक्षा के लिए सुरक्षा नियंत्रणों का उचित क्रियान्वयन अत्यंत महत्वपूर्ण है, तथा इससे किसी संगठन के संचालन और परिसंपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है।

घटना रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदारियाँ और सहायक दस्तावेजों के संदर्भ शामिल होने चाहिए। इसमें राज्य प्रबंधन की मंशा, लक्ष्य तथा व्यावसायिक रणनीति के अनुरूप सूचना सुरक्षा के सिद्धांत स्पष्ट रूप से दर्शाए जाने चाहिए।

विभाग ने पूछे जाने पर अवगत कराया कि आईटी सुरक्षा नीति नही बनायी गयी थी। राज्य सरकार ने (28 जुलाई 2025) जवाब दिया है कि सॉफ्टवेयर प्रदाता एजेंसी (आरईआईएल) को राजस्थान सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की आईटी सुरक्षा नीति अपनाने के निर्देश जारी किए गए थे (15 जुलाई 2025)। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (सितंबर 2025)।

3.1.9.3 प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण

भारत सरकार द्वारा जारी ई-सेफ दिशानिर्देशों के अनुसार, सूचना प्रणाली के व्यक्तिगत उपयोगकर्ता को उपयुक्त सुरक्षा जागरूकता, प्रशिक्षण एवं शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए तथा सुरक्षा नीतियों और प्रक्रियाओं पर नियमित अद्यतन उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

आईओएमएमएस के सफल कार्यान्वयन के लिए उचित अभिविन्यास और संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रम की आवश्यकता पूर्व अपेक्षित थी। चयनित 36 इकाइयों के अधिकारियों द्वारा भरे गए प्रश्नावली के उत्तरों से संकलित जानकारी से यह पता चला कि यद्यपि आईओएमएमएस एप्लिकेशन के संचालन के लिए निर्देश जारी किए गए थे, तथापि कर्मचारी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की योजना नहीं बनाई गई थी। यह भी देखा गया कि आईओएमएमएस के कार्यान्वयन के प्रारंभिक चरण को छोड़कर विभाग द्वारा कोई प्रशिक्षण सत्र आयोजित नहीं किए गए थे और 36 अधिकारियों में से छः ने पुष्टि की कि वे आईओएमएमएस एप्लिकेशन से पूरी तरह परिचित नहीं थे। विभाग ने पूछे जाने पर (17 मार्च 2025), पुष्टि की (12 जून 2025) कि कोई औपचारिक प्रशिक्षण इकाई स्तर पर "आईओएमएमएस का उपयोग कैसे करें" आयोजित नही किया गया क्योकि कर्मचारियों की उपलब्धता बहुत कम थी।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (28 जुलाई 2025) कि राजस्थान राज्य पशुपालन प्रबंधन और प्रशिक्षण संस्थान को निर्देश जारी (18 जुलाई 2025) किए गए हैं कि वे प्रत्येक पशु चिकित्सक/सह-पशु चिकित्सक प्रशिक्षु बैच में आईओएमएमएस मॉड्यूल का प्रशिक्षण शामिल करें। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (सितंबर 2025)।

लेखापरीक्षा उद्देश्य 2: आईटी प्रणाली के संचालन से संबंधित सामान्य नियंत्रण कार्यकारी निर्देशों के अनुपालन में लागू किये गए थे।

3.1.10 सामान्य नियंत्रण

सामान्य नियंत्रणों में डाटा केंद्र का संचालन, सिस्टम सॉफ़्टवेयर का अधिग्रहण तथा रखरखाव, एक्सेस सुरक्षा और एप्लिकेशन सिस्टम के विकास और रखरखाव पर नियंत्रण शामिल है। ये ऐसा वातावरण तैयार करते हैं जिसमें एप्लिकेशन सिस्टम और एप्लिकेशन नियंत्रण कार्य करते हैं। सामान्य नियंत्रण की श्रेणियों में संगठन और प्रबंधन नियंत्रण, भौतिक नियंत्रण (एक्सेस और पर्यावरण), लॉजिकल एक्सेस नियंत्रण, अधिग्रहण और प्रोग्राम परिवर्तन नियंत्रण, तथा

व्यवसायिक निरंतरता और आपदा रिकवरी नियंत्रण शामिल हैं। लेखापरीक्षा में सामान्य नियंत्रणों में निम्नलिखित कमियाँ पाई गईं।

3.1.10.1 संचालन प्रक्रिया

भारत सरकार द्वारा जारी किए गए ई-सेफ दिशानिर्देशों में यह प्रावधान किया गया है कि सूचना प्रणालियों के सही और सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए संचालन प्रक्रियाओं की पहचान की जानी चाहिए, उनका दस्तावेजीकरण और रखरखाव कर उन्हें उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए। प्रक्रियाओं में सूचना के प्रसंस्करण और प्रबंधन, बैकअप प्रक्रिया, त्रुटि प्रबंधन, उपकरण रखरखाव, प्रारंभ और बंद करने की प्रक्रिया जैसी गतिविधियाँ शामिल होनी चाहिए।

लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि विभाग ने अंतिम उपयोगकर्ता के लिए सूचना प्रसंस्करण और प्रबंधन, बैकअप प्रक्रिया, त्रुटि प्रबंधन और उपकरण रखरखाव आदि जैसी प्रणालीगत समस्याओं के समाधान के लिए कोई हेल्प डेस्क स्थापित नहीं किया था। प्रश्नावली के माध्यम से 36 यूनिट कार्यालयों से प्राप्त प्रतिक्रिया से पता चला कि मांग प्रस्तुत करने के दौरान सिस्टम डाउनटाइम जैसी परिचालन संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए कोई हेल्प डेस्क/केंद्र उपलब्ध नहीं था। इसके अलावा, उप-केंद्रों या इकाई कार्यालयों के लिए एप्लिकेशन में समस्याओं की रिपोर्ट करने या सुधार के सुझाव देने हेतु कोई फीडबैक तंत्र स्थापित नहीं किया गया था।

राज्य सरकार ने प्रत्युत्तर दिया (28 जुलाई 2025) कि अब एक समर्पित सहायता केंद्र स्थापित कर दिया गया है। हालांकि विशिष्ट विवरण प्रदान नहीं किए गए।

3.1.10.2 उपयोगकर्ता पहचान और प्रमाणीकरण

भारत सरकार द्वारा जारी ई-सेफ दिशानिर्देशों में यह निर्धारित किया गया है कि सूचना और प्रसंस्करण सुविधाओं की सुरक्षा के लिए सभी कंप्यूटिंग उपकरणों को अद्वितीय उपयोगकर्ता पहचान और प्रमाणीकरण सुनिश्चित करना होगा। विभाग के पास आदर्श पासवर्ड नीति होनी चाहिए, जिसमें न्यूनतम लंबाई (कम से कम आठ वर्ण), जटिलता (अल्फा न्यूमेरिक तथा विशेष वर्ण) और सिस्टम नियंत्रणों के माध्यम से पासवर्ड परिवर्तन की आवृत्ति तय हो, ताकि अनधिकृत परिवर्तनों को रोका जा सके। एप्लिकेशन उपयोगकर्ता के प्रमाणीकरण के लिए मल्टी-फैक्टर प्रमाणीकरण तंत्र का समर्थन करना चाहिए। एप्लिकेशन को निर्दिष्ट शर्तों के तहत उपयोगकर्ता को पुनः प्रमाणित करना चाहिए (उदाहरण के लिए, निष्क्रियता या निष्क्रियता के निर्दिष्ट अंतराल के बाद, सत्र समय समाप्त होने पर, क्रेडेंशियल बदलने पर इत्यादि)। इसके अलावा, निर्धारित संख्या से अधिक असफल लॉगिन प्रयासों पर सिस्टम को स्वचालित रूप से खाते को एक निश्चित अवधि के लिए लॉक कर देना चाहिए।

विभाग ने पूछे जाने पर (19 फरवरी 2025) बताया कि ऐसी कोई पासवर्ड नीति नहीं बनाई गई थी।

अप्रैल 2015 से मार्च 2025 की अवधि के लिए डाटा विश्लेषण के दौरान निम्नलिखित प्रमुख कमियां भी ध्यान में आईः

- 11,747 रिकॉर्ड में से 1,660 रिकॉर्ड में प्रारंभिक लॉगिन पासवर्ड बदला नहीं गया था।
- 2,237 रिकॉर्ड में पासवर्ड की लंबाई आठ वर्णों से कम थी।
- पासवर्ड में जटिलता का अभाव था, क्योंकि 1,310 रिकॉर्ड में केवल अक्षर थे और 5,181 रिकॉर्ड केवल संख्यात्मक वर्णों से बने थे, जिनमें अल्फ़ान्यूमेरिक या विशेष वर्णों के संयोजन के बिना ही उपयोग किया गया था।

चयनित 36 इकाइयों के विभागीय अधिकारियों के प्रश्नावली उत्तरों की जांच में भी यह सामने आया किः

- पासवर्ड के लिए अनिवार्य जटिलता (अक्षर-संख्या और विशेष वर्णों का संयोजन) लागू नहीं था;
- आईओएमएमएस में मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्रणाली नहीं थी; और
- उपयोगकर्ता के खाते कई असफल लॉगिन प्रयासों के बाद लॉक नहीं होते थे और निष्क्रियता की अवधि के बाद स्वतः लॉगआउट नहीं होता था।

इन नियंत्रणों में कमजोरियों से बुनियादी सुरक्षा में गंभीर कमी का संकेत मिलता है, जिससे अनधिकृत पहुँच का जोखिम बढ़ता है और सिस्टम की अखंडता प्रभावित हो सकती है।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (28 जुलाई 2025) कि आरईआईएल को निर्देश (15 जुलाई 2025) दिए गए हैं कि पासवर्ड मजबूत बनाए जाएं, तीन गलत प्रयासों के बाद अगले तीन घंटे के लिए आईओएमएमएस का उपयोग प्रतिबंधित किया जाए और पहुँच नियंत्रण के लिए एप्लिकेशन मानक विकसित किए जाएँ। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है(सितंबर 2025)।

3.1.10.3 व्यवसाय निरंतरता योजना और आपदा रिकवरी नियंत्रण

भारत सरकार द्वारा जारी ई-सेफ दिशानिर्देश यह निर्धारित करते है कि एक दस्तावेजीकृत व्यवसाय निरंतरता नीति विकसित और बनाए रखी जानी चाहिए ताकि आईटी सिस्टम न्यूनतम स्वीकार्य स्तर पर कार्य कर सके और सूचना सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा कर सके। एक व्यवसाय निरंतरता योजना में भूमिकाएं, जिम्मेदारियां, संपर्क और पुनर्स्थापना गतिविधियाँ परिभाषित होनी चाहिए, जिसकी नामित कर्मचारियों द्वारा समीक्षा और अनुमोदन किया जाए और प्रमुख कर्मचारियों के साथ साझा किया जाए। बैकअप के लिए वैकल्पिक भंडारण स्थल और महत्वपूर्ण कार्यों के लिए वैकल्पिक प्रक्रमण स्थल स्थापित किए जाने चाहिए ताकि जोखिम प्रबंधित किया जा सके और समय पर रिकवरी सुनिश्चित हो सके। नियमित उपयोगकर्ता-स्तर, सिस्टम-स्तर और सॉफ़्टवेयर बैकअप लिए जाने चाहिए, सुरक्षित रूप से संग्रहीत और संरक्षित किए जाने चाहिए ताकि आपदा या मीडिया विफलता की स्थिति में आवश्यक जानकारी उपलब्ध रहे।

लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि विभाग के पास कोई दस्तावेजीकृत व्यवसाय निरंतरता योजना या रिकवरी प्रक्रिया नहीं थी। विभाग ने आवश्यक जानकारी की उपलब्धता और पुनर्प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए नियमित बैकअप नहीं लिया। बैकअप और आपदा पुनर्प्राप्ति योजना के अभाव में, किसी भी आपदा की स्थिति में विभाग जानकारीयों को पुनः प्राप्त नहीं कर पाएगा।

राज्य सरकार ने लेखापरीक्षा आक्षेप को स्वीकार किया और बताया (28 जुलाई 2025) कि आरईआईएल को निर्देश दिए गए हैं कि वर्ष 2014-15 से 2024-25 तक के लिए बैकअप और डंप डाटा प्रदान करें और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में डाटा प्रदान करना सुनिश्चित करें। हालांकि, व्यवसाय निरंतरता योजना को दस्तावेजीकृत करने के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं दी गई। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है(सितंबर 2025)।

लेखापरीक्षा उद्देश्य 3: ***व्यवसायिक नियम सही प्रकार से मैप किये गये थे और अनुप्रयोग नियंत्रण प्रणाली में इस प्रकार लागू किए गए थे कि कार्यपालक निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके।***

लेखापरीक्षा में पाया गया कि आवश्यक परिचालन नियमों को सटीक या उचित रूप से मैप नहीं किया गया था और कार्यकारी निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए सिस्टम में एप्लिकेशन नियंत्रण लागू नहीं किए गए थे, जैसा कि नीचे विस्तार से बताया गया है।

3.1.11 एप्लिकेशन नियंत्रण

भारत सरकार द्वारा जारी ई-सेफ दिशानिर्देश निर्धारित करते है कि, डाटा प्रविष्टि वैलिडेशन, एप्लिकेशन में प्रविष्टि किए गए डाटा की वैधता की जांच करता है। ये जांच व्यवसायिक लेनदेन, स्थायी डाटा और पैरामीटर तालिकाओं की प्रविष्टि पर लागू होने चाहिए। इन नियंत्रणों में दोहरे प्रविष्टि या अन्य प्रविष्टि जांच शामिल हैं, जैसे सीमा जांच या प्रविष्टि डाटा के विशिष्ट दायरे तक फ़ील्ड को सीमित करना, ताकि आउट-ऑफ-रेंज वैल्यु, डाटा फ़ील्ड में अमान्य वर्ण, मिसिंग या अधूरा डाटा, अधिकतम और न्यूनतम डाटा मात्रा की सीमा से अधिक, और अनधिकृत या असंगत नियंत्रण डाटा का पता लगाया जा सके।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि आईओएमएमएस के विभिन्न मॉड्यूल में ये एप्लिकेशन नियंत्रण या तो अनुपस्थित थे या अपर्याप्त थे, जैसा कि नीचे बताया गया है।

3.1.11.1 क्रय आदेश निर्माण, आदेश प्रेषण और सामग्री प्राप्ति मॉड्यूल

कार्यप्रवाह प्रक्रिया के अनुसार, निदेशालय योग्य आपूर्तिकर्ताओं को क्रय आदेश जारी करता है । आपूर्तिकर्ता दवाइयाँ जिला पशु औषधि भंडार को पहुंचाते है और संबंधित क्रय आदेश के अनुसार जिलेवार प्रेषण चालान/बीजक विवरण आईओएमएमएस सिस्टम में दर्ज करते हैं। जिला कार्यालय आपूर्तिकर्ताओं द्वारा दर्ज प्रेषित जानकारी देख सकते है। दवाइयों की भौतिक प्राप्ति पर, जिला पशु औषधि भंडार को सिस्टम में प्राप्ति विवरण दर्ज/सत्यापित करना आवश्यक है। इन मॉड्यूल का विश्लेषण करने पर विभिन्न कमियाँ सामने आईं, जैसा कि नीचे बताया गया है।

(i) प्रेषण और प्राप्ति प्रक्रिया में मान्यकरण नियंत्रण की कमी के कारण डाटा सत्यनिष्ठा के मुद्दे

विभाग द्वारा प्रदान किए गए डंप डाटा के विश्लेषण के दौरान, लेखापरीक्षा ने सिस्टम में महत्वपूर्ण डाटा अखंडता के मुद्दे पाये। सिस्टम ने महत्वपूर्ण प्रविष्टि क्षेत्र जैसे बैच नंबर, निर्माण तिथि, प्राप्ति तिथि, समाप्ति तिथि, चालान तिथि और बिल तिथि में शून्य या अमान्य प्रविष्टियों की अनुमति

दी। इन महत्वपूर्ण प्रविष्टि क्षेत्र में तिथि "00-00-0000" के रूप में दर्ज की गई। 57,609 अभिलेखों में से शून्य प्रविष्टियां 1.14 प्रतिशत एवं 31.71 प्रतिशत के बीच है, जैसा कि **चार्ट 3.4** में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.4: महत्वपूर्ण फ़ील्ड में शून्य प्रविष्टि का विवरण

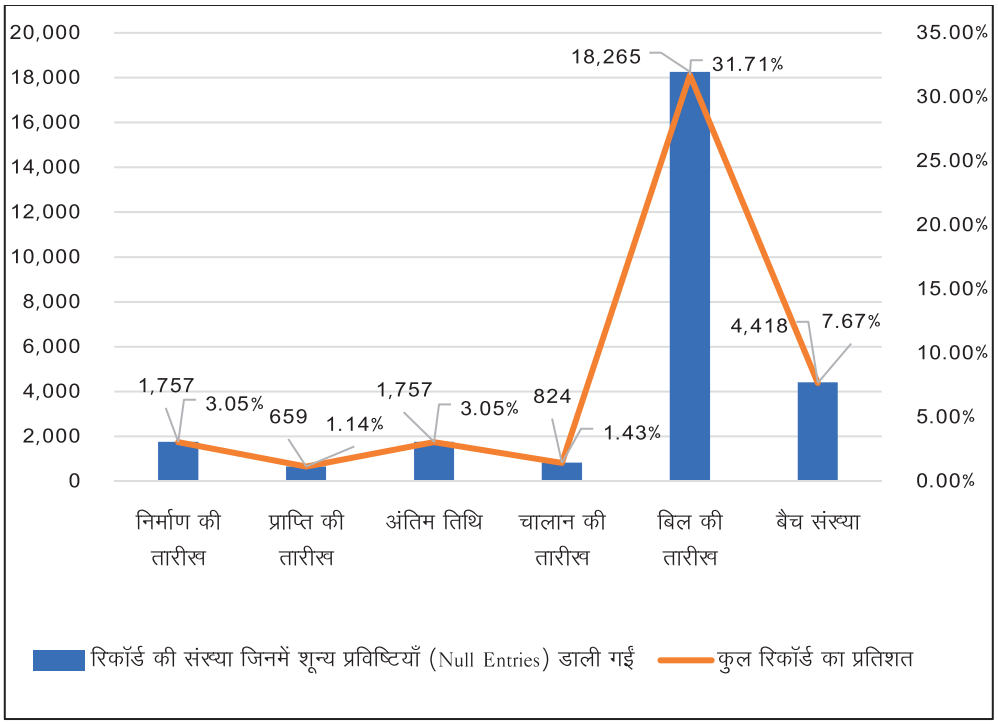

स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए डंप डाटा का विश्लेषण

ये कमियाँ खरीदी मानकों के गंभीर उल्लंघन का संकेत देती हैं और मान्यकरण नियंत्रण की अनुपस्थिति को उजागर करती हैं, जिससे अनुबंध की शर्तों और डाटा की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए तात्कालिक सुधारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता है।

राज्य सरकार ने (28 जुलाई 2025) जवाब दिया कि मॉड्यूल का उपयोग भारत सरकार से प्राप्त टैग और टीकों तथा आपूर्तिकर्ता द्वारा प्राप्त उपकरणों के लिए भी किया जा रहा था, इसलिए जिला औषधि डिपो द्वारा ऐसी प्रविष्टियाँ की गई थी। यह भी कहा गया कि आईओएमएमएस के उन्नयन के समय इन मुद्दों का समाधान कर दिया जाएगा।

भारत सरकार से प्राप्त आपूर्ति और आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त उपकरणों के संबंध में यह उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि निर्माण, प्राप्ति, चालान और बैच संख्या की तिथियां जिला औषधि डिपो द्वारा दवाओं या उपकरणों की प्रत्येक प्राप्ति में आईओएमएमएस में दर्ज की जाने वाली आवश्यक तिथियां थीं।

(ii) आपूर्ति की गई दवाओं की न्यूनतम शेल्फ लाइफ के मान्यकरण करने के लिए इनपुट नियंत्रण का अभाव

विभागीय क्रय आदेश, 2018 के क्लॉज 12 के अनुसार, आपूर्तिकर्ता दवा की एक्सपायरी तिथि के संबंध में आपूर्ति के समय कम से कम 75 प्रतिशत शेल्फ लाइफ सुनिश्चित करेगा।

डंप डाटा विश्लेषण से यह पता चला कि 57,609 प्रविष्टियों में से 689 प्रविष्टियों में दवाओं की न्यूनतम शेल्फ लाइफ अवधि निर्धारित 75 प्रतिशत सीमा से कम थी। फिर भी, जिला पशु औषधि भंडार ने इन दवाओं को स्वीकार कर लिया।

चयनित जिला पशु औषधि भंडार में भौतिक अभिलेखों की समीक्षा से इस तथ्य की पुष्टि हुई कि कम शेल्फ लाइफ अवधि वाली दवाओं को स्वीकार किया जा रहा था। ऐसे उल्लंघन से कम शेल्फ लाइफ अवधि वाली दवाएँ प्राप्त होने का जोखिम बढ़ जाता है, जिससे उनकी शीघ्र उपयोग की आवश्यकता उत्पन्न होती है। यह भी देखा गया कि आईओएमएमएस में ऐसा प्रविष्टि नियंत्रण नहीं था जो निर्धारित सीमा से कम शेल्फ लाइफ अवधि वाली दवाओं को अस्वीकार कर सके।

आईओएमएमएस के वॉक थ्रू के दौरान, लेखापरीक्षा दल ने सिस्टम का परीक्षण करते हुए एक दवाई की निर्माण तिथि 01 मार्च 2025 तथा समाप्ति तिथि 04 अप्रैल 2025-दोनों प्रविष्टियों को 04 अप्रैल 2025 को दर्ज किया गया। सिस्टम ने इन प्रविष्टियों को स्वीकार किया और जिला पशु औषधि भंडार में दवाइयों के स्टॉक को अद्यतन कर दिया। इसके अलावा, सिस्टम ने 11 अप्रैल 2025 को इन एक्सपायरी तिथि वाली दवाओं को इकाई कार्यालय (बालपुरा-80109169) को जारी करने की अनुमति भी दी। जो यह दर्शाता है कि आपूर्ति की गई दवाओं की न्यूनतम शेल्फ लाइफ अवधि को मान्य करने हेतु प्रविष्टि नियंत्रण का अभाव है।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (28 जुलाई 2025) कि आपातकालीन परिस्थितियों और आयातित दवाओं के मामले में वस्तुओं की शेल्फ लाइफ अवधि निर्धारित समय से कम होती है। यह भी कहा गया कि आपूर्ति की गई दवाओं की न्यूनतम शेल्फ लाइफ अवधि सुनिश्चित करने के लिए मान्यकरण चेक आईओएमएमएस में पहले से मौजूद थे, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं हैं।

यह जवाब स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि लेखापरीक्षा ने सिस्टम के वॉक थ्रू के दौरान इस मान्यकरण नियंत्रण की अनुपस्थिति को देखा, जैसा कि पहले विस्तार से बताया गया है।

3.1.11.2 सामग्री भंडार प्रक्रिया

यह मॉड्यूल दवाइयों के भंडार को बनाए रखने से संबंधित सभी चरणों से संबंधित है, जैसे कि सामग्री की प्रारंभिक भंडार प्रविष्टि, यूनिट कार्यालयों को जारी की गई सामग्री, सामग्री की प्राप्ति, भंडार हस्तांतरण अनुरोध, भंडार हस्तांतरण, और दवाइयों की खपत की प्रविष्टियाँ।

(i) भंडार प्रबंधन में सिस्टम-आधारित सीमांक और वर्गीकरण नियंत्रण की अनुपस्थिति

राजस्थान सरकार द्वारा जारी निःशुल्क औषधि वितरण आदेश (2012) के पैरा संख्या 2.4 के अनुसार, विभाग के संयुक्त निदेशक यह सुनिश्चित करेंगे कि जिला स्तर पर आवश्यक दवा सामग्री का न्यूनतम दो महीने का भंडार उपलब्ध हो।

आईओएमएमएस के विश्लेषण से पता चला कि सामग्री भंडार प्रक्रिया मॉड्यूल में आवश्यक सिस्टम नियंत्रणों का अभाव है, जैसे न्यूनतम/अधिकतम भंडार स्तर के लिए सीमांक मान्यकरण और दवाओं को आवश्यकता के अनुसार उच्च, मध्यम या निम्न श्रेणी में वर्गीकृत करना। इन निष्कर्षों की पुष्टि इकाई कार्यालयों के अधिकारियों द्वारा दिए गए प्रश्नावली उत्तरों से भी हुई।

इसके अतिरिक्त, चयनित जिला कार्यालयों ने कहा कि आवश्यक दवाओं को उच्च, मध्यम या निम्न में वर्गीकृत नहीं किया गया था। इसलिए, न्यूनतम भंडार की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की गयी थी और केवल 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत दवाएँ जिला पशु औषधि भंडार में आरक्षित रखी गई थी।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (28 जुलाई 2025) कि वर्तमान में आईओएमएमएस में भंडार प्रबंधन में सिस्टम-आधारित सीमांक और वर्गीकरण नियंत्रण उपलब्ध नहीं हैं। ये प्रावधान आरईआईएल की मदद से आईओएमएमएस में शामिल किए जाएंगे। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है(सितंबर 2025)।

(ii) दवाओं की आपूर्ति के साथ मांग को संरेखित करने के लिए सिस्टम नियंत्रण की अनुपस्थिति

राजस्थान सरकार द्वारा जारी निःशुल्क औषधि वितरण आदेश (2012) के पैरा संख्या 2.3 के अनुसार, सभी पशु चिकित्सा क्लीनिकों, जिनमें उनके उप-केंद्र भी शामिल हैं, को अगले तीन महीनों के लिए दवाओं और शल्य चिकित्सा संबंधी उपभोग्य सामग्रियों की मांग आईओएमएमएस के माध्यम से भेजनी होगी। तदनुसार, मुख्यालय द्वारा योग्य आपूर्तिकर्ता को क्रय आदेश जारी किए जाने थे। आपूर्तिकर्ता द्वारा औषधियों की आपूर्ति जिला औषधि डिपो को की जानी थी, जहाँ से इन्हें संबंधित इकाई कार्यालयों को वितरित किया जाना था।

डंप डाटा के विश्लेषण से निम्नलिखित प्रमुख अवलोकन सामने आए:

- 16,645 रिकॉर्ड में, जिला औषधि डिपो द्वारा आपूर्ति की गई मात्रा इकाई कार्यालयों द्वारा मांगी गई मात्रा से अधिक थी।
- 1,72,749 रिकॉर्ड में, जिला पशु औषधि भंडार द्वारा आपूर्ति की गई मात्रा, इकाई कार्यालयों द्वारा मांगी गई मात्रा से कम थी।

इसके अलावा, चयनित जिला कार्यालयों के अभिलेखों के परीक्षण में यह देखा गया कि अधिकांश दवाएँ इकाई कार्यालयों द्वारा की गई मांग के अनुसार नहीं थी। आपूर्ति या तो कम थी या अधिक; इसके अलावा, कई मामलों में, इन कार्यालयों द्वारा कोई मांग न किए जाने के बावजूद दवाइयां उपलब्ध कराई गईं। नमूना जांच परिणामों को ***परिशिष्ट-14*** में दर्शाया गया है।

आईओएमएमएस मॉड्यूल के विश्लेषण से पता चला कि सिस्टम भंडार स्तर के आधार पर स्वतः सुझाव नहीं देता या स्वतः मांग पत्र उत्पन्न नहीं करता है। परिणामस्वरूप, प्रत्येक यूनिट कार्यालय को सिस्टम इंटेलिजेंस या स्वचालित स्टॉक-स्तर निगरानी के समर्थन के बिना, डिमांड जेनरेशन लिंक के माध्यम से दवाओं की मांग मैन्युअल रूप से दर्ज करनी पड़ती थी। आईओएमएमएस मॉड्यूल में उपलब्ध स्टॉक के आधार पर और यूनिट कार्यालयों द्वारा उठाई गई मांगों के अनुसार दवाओं के वितरण के लिए एक तंत्र का भी अभाव था।इसके परिणामस्वरूप एक असंतुलन उत्पन्न हुआ, जहाँ एक ओर कुछ इकाई कार्यालयों में पशुओं को दवाओं की कमी या अनुपलब्धता के कारण दवाइयों से वंचित रहना पड़ा, वहीं दूसरी ओर कुछ स्थानों पर अधिक आपूर्ति के कारण अनावश्यक खपत हुई।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (28 जुलाई 2025) कि दवाएँ इकाई कार्यालयों द्वारा की गई मांग के अनुसार आपूर्ति की गईं। हालांकि, भंडार की उपलब्धता, आपातकालीन परिस्थितियाँ, और इंटरनेट की कम/अनुपलब्धता के कारण भिन्नता हो सकती है।

हालांकि, इस जवाब के समर्थन में कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। इसके अलावा, जांचे गए 9 मामलों (***परिशिष्ट-14***) में यह देखा जा सकता है कि दवाओं की आपूर्ति बिना किसी मांग के की गई थी। साथ ही, मांग और आपूर्ति को संतुलित करने के लिए प्रणालीगत नियंत्रण के अभाव के बारे में उत्तर में कोई टिप्पणी नहीं की गई है।

आईओएमएमएस को अद्यतन करने की आवश्यकता है ताकि स्टॉक की पुनःपूर्ति के लिए स्वचालित ट्रिगर सुनिश्चित करने, मैन्युअल हस्तक्षेप को कम करने और मांग एवं आपूर्ति दक्षता में सुधार हो।

(iii) दवाओं की एक्सपायरी से पहले उनके इष्टतम उपयोग के लिए प्रभावी नियंत्रणों की अनुपस्थिति

लेखापरीक्षा में दवाओं के प्रभावी उपयोग के लिए नियंत्रणों का अभाव पाया गया, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

- ***दवा वितरण और उपभोग के लिए एफईएफओ पद्धति को लागू करने हेतु प्रणालीगत नियंत्रण का अभाव***

राजस्थान सरकार द्वारा जारी निःशुल्क औषधि वितरण आदेश (2012) के पैरा संख्या 5.2 के अनुसार,सिस्टम को दवाएँ एफईएफओ (पहले एक्सपायर, पहले आउट) पद्धति से जारी करनी चाहिए। जिला पशु औषधि भंडार को इकाई कार्यालयों को एफईएफओ के आधार पर दवाएँ जारी करनी थीं, लेकिन यह प्रवाह आईओएमएमएस में मैप नहीं था।

डंप डाटा विश्लेषण से पता चला कि 4,73,864 रिकॉर्ड में से 2,36,932 रिकॉर्ड में एफईएफओ पद्धति का पालन नहीं किया गया। इसके अलावा, चयनित जिला कार्यालयों की लेखापरीक्षा के दौरान, यह पुष्टि की गई कि सिस्टम दवाओं के जारी करने को उनकी एक्सपायरी तिथियों के क्रम में लागू या मान्य नहीं करता था, और न ही यह एक्सपायरी की तिथि के करीब वाली दवाओं के चयन के लिए चेतावनी उत्पन्न करता था। जिला औषधि डिपो किसी भी बैच की दवाओं का चयन कर सकते थे, चाहे उनकी समाप्ति तिथि कुछ भी हो, और उन्हें यूनिट कार्यालयों को जारी कर सकते थे।परिणामस्वरूप, दवाओं का वितरण और उपभोग एफईएफओ पद्धति के बिना ही किया गया। इसका विस्तृत विवरण ***परिशिष्ट-15*** में दिया गया है। इसलिए, दवाओं के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक जांचों को लागू करना या मान्य करना आवश्यक है।

राज्य सरकार ने इस तथ्य को स्वीकार किया और कहा (28 जुलाई 2025) कि सिस्टम केवल दवाओं को जारी करने के समय दवाओं की एक्सपायरी तिथि दिखाता है, लेकिन उसने दवा जारी करने के लिए एफईएफओ पद्धति पर जोर नहीं दिया। इन मुद्दों का समाधान आईओएमएमएस के उन्नयन के माध्यम से किया जाएगा। आगे की प्रगति की प्रतीक्षित है (सितंबर 2025)।

- ***अवधिपार दवाओं के उपभोग को रोकने के लिए मान्यकरण जाँच की अनुपस्थिति***

सिस्टम में अवधिपार दवाओं के जारी होने या उपभोग को रोकने के लिए आवश्यक मान्यकरण नियंत्रण नहीं हैं। यद्यपि आईओएमएमएस एप्लिकेशन अवधि पार दवाओं को लाल रंग में दिखाता है, लेकिन इसमें ऐसे स्टॉक से जुड़े आगे के लेन-देन को रोकने के लिए फ्रीज या ब्लॉक करने की कोई प्रणाली लागू नहीं की गई थी। परिणामस्वरूप, अवधि पार हो चुकी दवाएं भी उपभोग के लिए जारी की जा सकती हैं। दवाओं की खपत के आंकड़ों के विश्लेषण से एक्सपायरी संबंधी नियमों के पालन में कमियों का पता चला।

- 90.76 लाख रिकॉर्ड में से, 4.27 लाख रिकॉर्ड में दवाओं का उपयोग समाप्ति तिथि के बाद किया गया था, जबकि बैच की समाप्ति तिथि के बाद 14 दिनों की छूट अवधि[5] दी गई थी।
- इसके अलावा, इन 4.27 लाख प्रविष्टियों में से 1.65 लाख प्रविष्टियों में एक्सपायर्ड दवाओं की खपत बैकएंड से दर्ज की गई थी। इससे डाटा की सत्यनिष्ठा को लेकर चिंताएं पैदा होती हैं।

चयनित कार्यालयों की लेखापरीक्षा के दौरान, इकाइयों के भौतिक अभिलेखों की समीक्षा की गई और स्टॉक रजिस्टरों से यह सत्यापित हुआ कि अजमेर, चित्तौड़गढ़ और सवाई माधोपुर कार्यालयों में उपभोग के लिए एक्सपायर्ड दवाएं जारी की गई थी। इसका विस्तृत विवरण ***परिशिष्ट-16*** में दिया गया है।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (28 जुलाई 2025) कि मान्यकरण नियंत्रण संस्थान स्तर पर दवा जारी करने के लिए उपलब्ध था। दवाएँ भौतिक रूप से समाप्ति से पहले उपभोग की गई थी, लेकिन कंप्यूटर/सॉफ़्टवेयर सुविधा की अनुपलब्धता के कारण दवा खपत को आईओएमएमएस में अद्यतन नहीं किया जा सका। ऐसे मामलों में, दवा खपत की प्रविष्टियाँ जिला स्तर पर भौतिक सत्यापन के बाद की गईं।

यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आईओएमएमएस में उपभोगकर्ताओं को अवधि पार दवाएँ जारी करने से रोकने के लिए कोई मान्यकरण नियंत्रण नहीं था, जिसकी वॉक थ्रू में भी पुष्टि हुई। जिला स्तर पर दवा खपत डाटा के विश्लेषण से पता चला कि सिस्टम खपत तिथि के बाद प्रविष्टियाँ करने की अनुमति देता है। इकाई स्तर पर भौतिक अभिलेखों की जांच से यह प्रमाणित होता है कि दवाइयां एक्सपायर्ड तिथि के बाद इकाई स्तर पर उपभोग के लिए जारी की गई थीं, जैसा कि ***परिशिष्ट-16*** में दिखाया गया है।

इन निष्कर्षों ने इकाई स्तर पर अवधि पार हो चुकी दवाओं के वितरण को रोकने के लिए प्रणाली में तत्काल सुधारात्मक उपायों/नियंत्रणों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। विभाग को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि इकाइयों को पर्याप्त बुनियादी ढांचा प्रदान किया जाए ताकि लाभार्थियों को दोनों प्रणालियों यानी आईओएमएमएस और भौतिक अभिलेखों में एक साथ दवाएं जारी की जा सकें, जिससे दवाओं का सुरक्षित उपभोग सुनिश्चित हो सके।

[5] दवा की डिलीवरी पखवाड़े में एक बार की जाती थी, इसलिए 14 दिनों की छूट दी गई थी।

(iv) वैधता नियंत्रण की अनुपस्थिति के कारण अपात्र इकाइयों को दवाएँ जारी होना

प्रथम श्रेणी के पशु चिकित्सालय (एफजीवीएच) या पशु चिकित्सालय (वीएच) को 138 प्रकार की दवाओं के लिए पात्रता प्राप्त थी। तथापि, दवा सूची के अनुसार उप-केंद्र केवल 62 प्रकार की दवाओं के लिए ही पात्र थे क्योंकि वहां कोई पशु चिकित्सक तैनात नहीं था। कुछ विशिष्ट शल्य चिकित्सा सामग्री भी उप-केंद्रों को जारी नहीं की जानी थी। राजस्थान सरकार द्वारा जारी निःशुल्क औषधि वितरण आदेश (2012) के पैरा संख्या 3.1 के अनुसार, जिला औषधि डिपो आईओएमएमएस एप्लिकेशन का उपयोग करके, एफजीवीएच, वीएच और उप केंद्रों सहित अपने सभी इकाई कार्यालयों को दवाएं जारी करने के लिए जिम्मेदार थे।

डंप डाटा के विश्लेषण से पता चला कि 2,66,556 रिकार्ड के माध्यम से 4,727 उप-केंद्रों को 31,74,318 मात्रा में दवाइयां जारी की गईं। इसके अलावा, चयनित जिला कार्यालयों की लेखापरीक्षा में भी पुष्टि हुई कि दवा जारी करते समय आईओएमएमएस में दवा संबंधी इकाई कार्यालयों की पात्रता का सत्यापन नहीं किया गया था। जारी मॉड्यूल में आवश्यक वैधता जांच की कमी के कारण 21 चयनित उप-केंद्रों में से 17 अप्रात्र उप-केंद्रों को दवाएँ जारी की गईं। अपात्रता के बावजूद, इन उप-केंद्रों ने दवाओं का उपभोग किया। उदाहरण ***परिशिष्ट-17*** में दिए गए है। यह स्थिति आईओएमएमएस एप्लिकेशन में एक गंभीर प्रणालीगत दोष को दर्शाती है, जिससे अपात्र केंद्र भी उन दवाओं को प्राप्त और उपभोग कर सकते हैं जिनके लिए वे अधिकृत नहीं थे।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (28 जुलाई 2025) कि आईओएमएमएस किसी भी इकाई को कोई भी दवा जारी करने की अनुमति देता है क्योंकि आपातकाल/प्रकोप की स्थिति में किसी भी इकाई को ऐसी दवाओं की मांग हो सकती है। हालांकि, यह भी कहा गया कि आईओएमएमएस के उन्नयन के माध्यम से इन मुद्दों का समाधान किया जाएगा। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (सितंबर 2025)।

3.1.11.3 दवाओं की गुणवत्ता परीक्षण

औषधि दर अनुबंध, 2018 के धारा 19 (2) के अनुसार, राजस्थान के पशुपालन निदेशक या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी को संविदा अवधि के दौरान किसी भी समय, यादृच्छिक रूप से या किसी शिकायत पर एकत्र किए गए नमूनों की किसी भी संख्या को राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) द्वारा मान्यता प्राप्त एक या एक से अधिक अनुमोदित प्रयोगशालाओं और/या औषधि नियंत्रक/निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान द्वारा अनुमोदित प्रयोगशालाओं में भेजने का विकल्प चुनने की स्वतंत्रता थी।

(i) नमूने एकत्र करने और जांच रिपोर्ट प्राप्त करने की समयसीमा के लिए दिशानिर्देशों की अनुपस्थिति

आपूर्तिकर्ता के लिए गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट के साथ दवाओं की आपूर्ति करना अनिवार्य था। इसके अलावा, जिला औषधि नियंत्रण कार्यालयों को गुणवत्ता परीक्षण के लिए दवाओं के नमूने जिला औषधि डिपो (डीडीडी) से यादृच्छिक रूप से या शिकायत के आधार पर एकत्र करने थे। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि विभाग ने न्यूनतम नमूने एकत्र करने की संख्या, परीक्षण रिपोर्ट

प्राप्त करने की अपेक्षित समय सीमा और सिस्टम पर रिपोर्ट अपलोड करने की समय सीमा के लिए कोई दिशानिर्देश नहीं बनाए। डंप डाटा के विश्लेषण से पता चला कि विभाग द्वारा 2015 से 2025 की अवधि में गुणवत्ता परीक्षण के लिए भेजे गए 597 नमूनों में से 500 नमूनों की गुणवत्ता रिपोर्ट सिस्टम में अपलोड नहीं की गई। चयनित कार्यालयों में यह देखा गया कि जिला औषधि नियंत्रण कार्यालयों द्वारा गुणवत्ता परीक्षण के लिए 114 नमूने एकत्र किए गए थे जिनका विवरण **चार्ट 3.5** में दिया गया है।

चार्ट 3.5: दवाओं के गुणवत्ता परीक्षण का विवरण

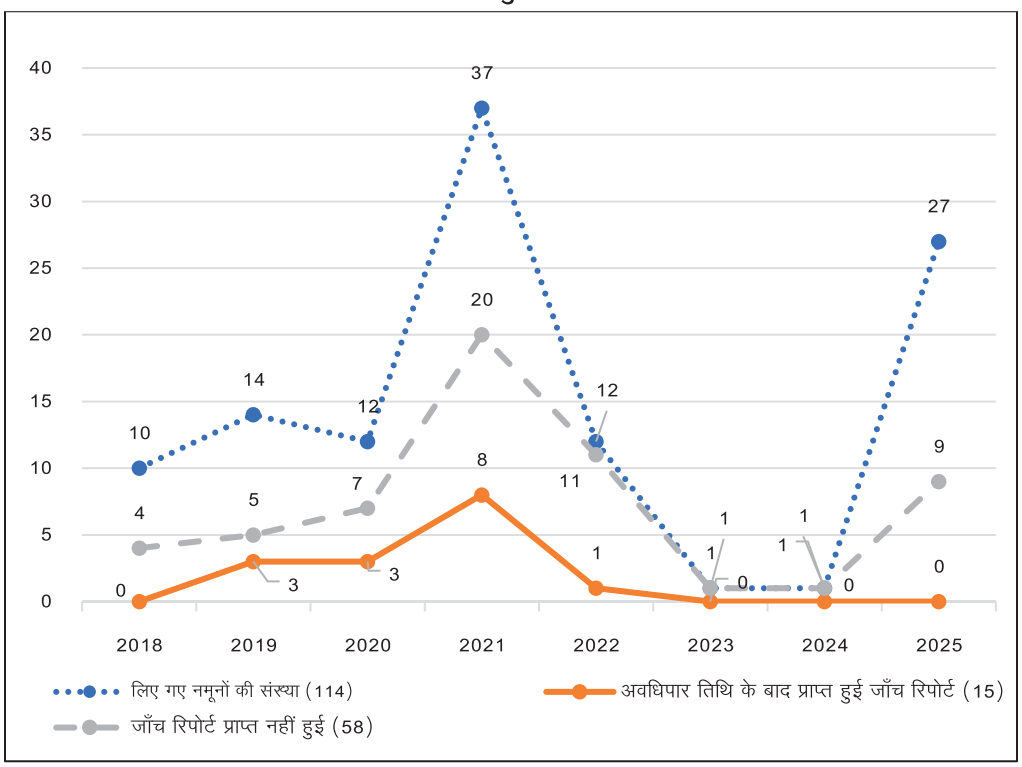

स्रोतः अभिलेखों की संवीक्षा तथा विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई गयी सूचना

उपरोक्त चार्ट यह दर्शाता है कि, इन 114 नमूनों में से 58 नमूनों की परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त ही नहीं हुई और 15 नमूनों की रिपोर्ट संबंधित दवाओं की एक्सपायरी के बाद प्राप्त हुई।

इसके अलावा यह भी पाया गया कि चार दवाओं के नमूने गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट में असफल रहे (***परिशिष्ट-18***)। इन मामलों में यह भी देखा गया कि नमूने लेने में सतर्कता नहीं बरती गई, जबकि दवा की शेल्फ लाईफ दो साल की थी। एक दवा (एमजे-5) के मामले में, गुणवत्ता परीक्षण के लिए नमूना केवल दवा की एक्सपायरी से 17 दिन पहले लिया गया और दवा की अमानक रिपोर्ट एक्सपायरी से चार दिन पहले प्राप्त हुई। तब तक दवा इकाई में उपभोग हो चुकी थी।

एक अन्य मामले में, लेखापरीक्षा में पाया गया कि एमके-5 नामक दवा के लिए, जिसकी एक्सपायरी तिथि 31 मार्च 2022 थी, गुणवत्ता परीक्षण का नमूना 25 जनवरी 2021 को एकत्र किया गया था। तथापि, दवा को अमानक का घोषित करने वाले जांच परिणाम विभाग को लगभग एक साल बाद, यानी 9 मार्च 2022 को, इसकी एक्सपायरी तिथि से महज 26 दिन पहले ही सूचित किए गए थे और दवाओं का उपभोग 2021 तक हो चुका था (***परिशिष्ट-18***)। इस देरी के कारण समय पर कार्रवाई नहीं होने से अमानक दवा के आगे उपभोग को रोका नहीं जा सका।

यह नमूनों के संग्रह और गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्टों की समयबद्ध प्राप्ति दोनों के लिए समयसीमा निर्धारित करने वाले स्पष्ट दिशानिर्देश स्थापित करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। नमूना संग्रह में अनुचित देरी, साथ ही गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्टों की समय पर निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए एक प्रभावी तंत्र की अनुपस्थिति के कारण, जांच परिणाम प्राप्त होने से पहले ही अमानक दवाओं का उपभोग हो गया।

इसके अलावा, सिस्टम को अद्यतन करने की आवश्यकता है ताकि ऐसे नमूनों को, जिनकी रिपोर्ट निश्चित समय पर प्राप्त नहीं हुई, चेतावनी संकेत (रेड फ्लैग) किया जा सके, जिससे अमानक दवाओं के उपभोग को रोका जा सके और परीक्षण रिपोर्ट की समय पर निगरानी एवं उसके अनुसार दवा के उपभोग की पुष्टि सुनिश्चित हो सके।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर (03 जुलाई 2025), इस पर कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

(ii) अमानक दवाओं को चेतावनी संकेत (रेड फ्लैग) करने के लिए स्वचालित नियंत्रण की अनुपस्थिति

यदि कोई विशेष दवा प्रयोगशाला परीक्षण में असफल हो जाती है, तो जिला पशु औषधि भंडार को मुख्यालय और अधीनस्थ कार्यालयों को स्वंयस्तर (मैन्युअली) सूचित करना होता है ताकि इस दवा का वितरण और उपभोग रोक दिया जाए।

यह देखा गया कि आईओएमएमएस में उस नियंत्रण का अभाव है जिसके माध्यम से यह दवा की स्थिति को स्वचालित रूप से अपडेट कर सके और जैसे ही असफल परीक्षण रिपोर्ट सिस्टम में अपलोड होती है, उस दवा को उन सभी इकाइयों में "निम्न गुणवत्ता" के रूप में चिह्नित कर सके जहां वह दवा उपभोग के लिए उपलब्ध थी।

चूंकि जांच रिपोर्ट सिस्टम में अपलोड नहीं की जा रही थी, यानी पैरा 3.1.11.3 में उल्लिखित 597 नमूनों में से 500 नमूने, इसलिए घटिया दवाओं की खपत का डाटा विश्लेषण नहीं किया जा सका। तथापि, अभिलेखों की जांच से पता चला कि नागौर के जिला औषधि डिपो में 3 दिसंबर 2020 को दवा एमबी-1 (बैच नंबर-एसवी180) के अमानक पाए जाने की पूर्व सूचना होने के बावजूद, जनवरी 2021 और अगस्त 2021 के बीच भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिलों में इस दवा का उपभोग किया गया। ये दवाएं जांच रिपोर्ट प्राप्त होने से पहले (जनवरी 2020 से अप्रैल 2020 के बीच) जारी की गई थी। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने से पहले दो बैचों का उपभोग कर लिया गया था और दो बैचों का उपभोग उन रिपोर्टों के प्राप्त होने के बाद भी किया गया था जिनमें इन्हें अमानक घोषित किया गया था। इस प्रकार, सिस्टम में उन सभी यूनिट कार्यालयों में अमानक दवाओं को चिह्नित करने के लिए स्वचालित नियंत्रणों का अभाव था जहां दवा का एक ही बैच उपलब्ध था (***परिशिष्ट-18***)।

राज्य सरकार ने (28 जुलाई 2025) कहा कि अमानक गुणवत्ता वाली दवाओं के भंडार को रोकने के लिए आईओएमएमएस में अनुप्रयोग नियंत्रणों का अभाव है। विभाग आरईआईएल के साथ मिलकर इसके लिए एक मॉड्यूल विकसित कर रहा है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (सितंबर 2025)।

(iii) गुणवत्ता परीक्षण में मंजूरी मिलने के बाद स्टॉक को स्वतः अनब्लॉक करने के लिए अपर्याप्त सिस्टम नियंत्रण

औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम, 1940 की धारा 23(4) में प्रावधान किया गया था कि निरीक्षक को नमूने को चार भागों में विभाजित करना और उसे प्रभावी ढंग से सील करना तथा स्पष्ट रूप से चिह्नित करना आवश्यक था। एक भाग को परीक्षण के लिए सरकारी विश्लेषक के पास भेजा जाना था, दूसरा भाग मामला दर्ज होने की स्थिति में अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया जाना था, तीसरा भाग धारा 18-ए के तहत पहचाने गए संबंधित व्यक्ति को दिया जाना था, और चौथा भाग जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तक जब्त रखा जाना था।

यह देखा गया कि गुणवत्ता परीक्षण के लिए नमूना लेते ही उस दवा के चार भाग स्टॉक से डेबिट/ब्लॉक हो जाते हैं। आईओएमएमएस की समीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि सिस्टम में दवा के स्टॉक को बहाल करने के लिए एक स्वचालित तंत्र का अभाव था, जिसे गुणवत्ता नमूनाकरण के दौरान पहले डेबिट/ब्लॉक कर दिया गया था, लेकिन बाद में "मानक गुणवत्ता" के रूप में पुष्टि की गई थी। परिणामस्वरूप, इन मात्राओं का स्थायी रूप से हिसाब नहीं रखा जाता है, जिससे स्टॉक रिकॉर्ड में विसंगतियां और इन्वेंट्री का अप्रभावी उपयोग होता है।

राज्य सरकार का उत्तर इस मामले में प्रतीक्षित है (सितंबर 2025)।

3.1.12 निष्कर्ष

पशुपालन विभाग द्वारा विकसित और लागू किए गए 'एकीकृत ऑनलाइन औषधि प्रबंधन सॉफ़्टवेयर' (आईओएमएमएस) की सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा कार्यात्मक और तकनीकी क्षेत्रों में कई गंभीर कमियों को उजागर करती है। इन कमियों ने राज्य में दवाओं की खरीद, गुणवत्ता आश्वासन, भंडार प्रबंधन और वितरण के आरम्भ से अंत तक प्रक्रियाओं में सॉफ़्टवेयर की विश्वसनीयता, सुरक्षा और प्रभावशीलता को गंभीर रूप से प्रभावित किया।

2015 से प्रणाली संचालन होने के बावजूद, विभाग व्यक्तिगत कंप्यूटरों की उपलब्धता, इंटरनेट कनेक्टिविटी और विभाग के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने जैसी आईटी अवसंरचना की तैयारी सुनिश्चित नहीं कर सका। बुनियादी समर्थन की इस कमी ने वास्तविक समय में डाटा प्रविष्टि और सिस्टम के उपयोग में बाधा उत्पन्न की, जिससे एप्लिकेशन की अखंडता और उपयोगिता प्रभावित हुई। आईटी प्रशासन के परिप्रेक्ष्य से, विभाग में सूचना सुरक्षा नीति, पासवर्ड प्रोटोकॉल और आपदा से उबरने के उपायों का अभाव था। उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण नियंत्रण कमजोर थे, और कोई व्यावसायिक निरंतरता योजना मौजूद नहीं थी। अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए कोई हेल्प डेस्क उपलब्ध नहीं थी।

इसके अलावा, लेखापरीक्षा में प्रमुख अनुप्रयोग नियंत्रणों की अनुपस्थिति देखी गई, जिनमें न्यूनतम समाप्ति अवधि के लिए सत्यापन जांच, एफईएफओ (फर्स्ट एक्सपायरी-फर्स्ट आउट) प्रोटोकॉल का प्रवर्तन और दवाओं की मांग और आपूर्ति के बीच सिस्टम-आधारित मैपिंग शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, गुणवत्ता आश्वासन तंत्र अपर्याप्त थे और रिपोर्टिंग में परिभाषित समयसीमा या मानक संचालन प्रक्रियाओं का अभाव था। निम्न गुणवत्ता वाले स्टॉक को ब्लॉक करने और स्वीकृत स्टॉक को अनब्लॉक करने के लिए कोई स्वचालित नियंत्रण प्रणाली नहीं थी। इसी प्रकार, शेल्फ-लाइफ

सत्यापन और स्वचालित स्टॉक मिलान तंत्र या तो अनुपस्थित थे या अप्रभावी ढंग से लागू किए गए थे।

निष्कर्षतः लेखापरीक्षा ने व्यावसायिक नियमों, तकनीकी मानकों और परिचालन आवश्यकताओं के साथ सॉफ्टवेयर कार्यान्वयन को संरेखित करने में प्रणालीगत कमियों को उजागर किया।

3.1.13 अनुशंसायें

लेखापरीक्षा के निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार इन पर विचार कर सकती है:

- सभी इकाई कार्यालयों में आवश्यक हार्डवेयर और इंटरनेट कनेक्टिविटी की उपलब्धता में तेजी लाना।
- पासवर्ड नीतियों, बहु स्तरीय प्रमाणीकरण, उपयोगकर्ता पहुंच मानकों और सिस्टम उपयोग निगरानी के कार्यान्वयन के माध्यम से आईटी सुरक्षा को मजबूत करना।
- संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थापित करें, वास्तविक समय में समस्याओं के समाधान के लिए एक केंद्रीकृत हेल्प डेस्क और उपयोगकर्ता सहायता प्रणाली बनाएं।
- नियमित बैकअप के साथ एक औपचारिक व्यवसाय निरंतरता और आपदा रिकवरी योजना विकसित और कार्यान्वित करें।
- आईओएमएमएस में अनिवार्य मान्यकरण जांच लागू करना, जैसे न्यूनतम समाप्ति अवधि, एफईएफओ, शेल्फ-लाइफ मानक और मांग-आपूर्ति संरेखण को सुनिश्चित करना।
- आईओएमएमएस को उन्नयन/तकनीकी रूप से रीफ्रेश करना ताकि भंडारपूर्ति के लिए स्वः चालित ट्रिगर सुनिश्चित हो, मैनुअल हस्तक्षेप कम हो और मांग तथा आपूर्ति की दक्षता बढ़े।
- दवाओं की गुणवत्ता परीक्षण के लिए स्वचालित नियंत्रण लागू करना, अमानक बैचों को चिन्हित करना और अवरुद्ध करना और अनुमोदित स्टॉक को स्वचालित रूप से अनब्लॉक करना।

उद्योग एवं वाणिज्य विभाग

3.2 पूंजीगत अनुदान की राशि ₹ 61.25 लाख का अनियमित भुगतान

विभाग ने 'मेडिकल ऑक्सीजन विनिर्माण उद्यमों के लिए विशेष पैकेज' के अंतर्गत दो उद्यमों को ₹61.25 लाख पूंजीगत अनुदान का अनियमित भुगतान किया, जबकि ये उद्यम मेडिकल ऑक्सीजन के स्थान पर औद्योगिक ऑक्सीजन के उत्पादन में कार्यरत थे।

कोविड-19 महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों से निपटने हेतु राज्य सरकार ने राज्य में मेडिकल ऑक्सीजन विनिर्माण सुविधाओं को सुदृढ़ एवं सुगम बनाने की आवश्यकता को अनुभव किया।

तदनुसार, राज्य सरकार ने 30 अप्रैल 2021 को 'मेडिकल ऑक्सीजन विनिर्माण उद्यमों के लिए विशेष पैकेज' (पैकेज) जारी किया, जिसके माध्यम से पात्र मेडिकल ऑक्सीजन विनिर्माण उद्यमों को लाभ प्रदान किया जाना था।

पैकेज के क्लॉज़ 3 में प्रावधान है कि यह उन नए एवं विद्यमान उद्यमों पर लागू होगा जिन्होंने नए मेडिकल ऑक्सीजन विनिर्माण इकाई/सुविधा की स्थापना हेतु ₹ 1 करोड़ या उससे अधिक का निवेश किया हैं। यह भी प्रावधान है कि 30 सितम्बर 2021[6] से पूर्व मेडिकल ऑक्सीजन विनिर्माण इकाई/सुविधा द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन या संचालन प्रारंभ करना आवश्यक होगा। पैकेज के क्लॉज़ 2(ii) के अनुसार, वाणिज्यिक उत्पादन/संचालन प्रारंभ करने का अभिप्राय उस तिथि से है जिस दिन उद्यम पैकेज के अंतर्गत किए गए निवेश से विनिर्मित मेडिकल ऑक्सीजन का पहला आपूर्ति बिल/इनवॉइस/टैक्स इनवॉइस जारी करता है। क्लॉज़ 2(iii) में निर्दिष्ट है कि 'मेडिकल ऑक्सीजन' का अर्थ उच्च शुद्धता वाली ऑक्सीजन से है, जिसका उपयोग मानव शरीर के चिकित्सीय उपचार हेतु किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, क्लॉज़ 4 बी में प्रावधान है कि पात्र उद्यम को प्लांट एवं मशीनरी तथा उपकरणों में किए गए निवेश का 25 प्रतिशत पूंजीगत अनुदान के रूप में प्रदान किया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा ₹50 लाख होगी।

कार्यालय आयुक्त, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, राजस्थान के अभिलेखों की जांच के दौरान पाया गया (फरवरी 2024) कि राज्य स्तरीय छानबीन समिति (एसएलएससी[7]) ने पैकेज के अंतर्गत पूंजीगत अनुदान प्रदान करने हेतु 11 उद्यमों के प्रकरणों को अनुमोदित किया। इनमें से दो[8] उद्यमों को पैकेज के अंतर्गत कुल पूंजीगत अनुदान ₹61.25 लाख[9] स्वीकृत किया गया। मैसर्स 'X' उपक्रम, अलवर ने वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ करने के प्रमाणस्वरूप पहले दो इनवॉइस (16 सितम्बर 2021 एवं 18 सितम्बर 2021) तथा मैसर्स 'Y' उपक्रम, कोटा ने 30 जुलाई 2021 का पहला इनवॉइस प्रस्तुत किया, जो पैकेज के अंतर्गत किए गए निवेश से विनिर्मित ऑक्सीजन से संबंधित थे।

दोनों उपक्रमों ने इन इनवॉइसों में मेडिकल ऑक्सीजन के स्थान पर ऑक्सीजन गैस की बिक्री दर्शाई थी तथा औद्योगिक ऑक्सीजन पर लागू 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) लगाया था। जबकि 14 जून 2021 से 30 सितम्बर 2021 की अवधि के दौरान मेडिकल ऑक्सीजन पर पाँच प्रतिशत की दर से ही जीएसटी देय था।

अतः, ₹61.25 लाख के पूंजीगत अनुदान का अनियमित भुगतान उन उद्यमों को किया गया जो मेडिकल ऑक्सीजन के स्थान पर औद्योगिक ऑक्सीजन के वाणिज्यिक उत्पादन में संलग्न थे, जो ब्याज सहित वसूल किया जाना है।

---

[6] यह योजना अप्रैल 2021 से सितम्बर 2021 तक चालू थी।

[7] वर्ष 2022 के दौरान आयोजित की गयी राज्य स्तरीय छानबीन समिति।

[8] राशि ₹ 28.75 लाख (02 दिसम्बर 2022) एवं ₹ 32.50 लाख (12 दिसम्बर 2022) क्रमशः मैसर्स 'X' उपक्रम, अलवर एवं मैसर्स 'Y' उपक्रम, कोटा के लिए।

[9] ₹ 61.25 लाख = ₹ 28.75 लाख + ₹ 32.50 लाख।

यह मामला राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2025)। राज्य सरकार ने उत्तर दिया (जून 2025) कि संबंधित उद्यमों को अनुदान राशि को ब्याज सहित जमा कराने हेतु पत्र जारी (07 फरवरी 2025) किया गया है तथा इस संबंध में 15 अप्रैल 2025 को जिला कलेक्टर को सार्वजनिक मांग वसूली अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करने हेतु पत्राचार किया गया है। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (सितंबर 2025)।

जयपुर
दिनांक : 27 फरवरी 2026

(रामावतार शर्मा)
महालेखाकार
(लेखापरीक्षा-II), राजस्थान

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक : 03 मार्च 2026

(के. संजय मूर्ति)
भारत के नियंत्रक – महालेखापरीक्षक